राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा,राज0, जयपुर

क्रमांकः—एफ.1(सी) 1896/जांच/2025/ दिनांकः—

:: ज्ञापन ::

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरूद्व आयुक्त, कालेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 2020—13011 दिनांक 12.03.2025 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर राज. सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है। अनुशासनिक जांच कार्यवाही से संबंधित अभिकथन जिनके आधार पर जांच कार्यवाही करने का निर्णय लिया है संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है और जिन अभिकथनों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किये गये है वे संलग्न किये गये है।

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), को सूचित किया जाता है कि इस ज्ञापन की प्राप्ति दिवस से 15 दिवस की अवधि में लिखित कथन (Written Statement) प्रस्तुत करें।

सुश्री कल्पना चौधरी तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने बचाव पक्ष की तैयारी के लिए किसी सुसंगत राजकीय अभिलेख का उद्धरण लेना चाहें या निरीक्षण करना चाहें तो कार्यालय राजकीय महाविधालय, वस्सी, जयपुर में 15 दिवस की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर निरीक्षण/उद्धरण ले सकते हैं। किन्तु यह ध्यान में रहे कि यदि निम्नहस्ताक्षरकर्ता की राय में उक्त अभिलेख तत्प्रयोजनार्थ सुसंगत नहीं हैं अथवा ऐसे अभिलेखों को दिखाने की अनुज्ञा देना लोक हित के विरूद्व है, तो ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने अथवा उनमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उक्त निर्धारित समयावधि में उनका लिखित कथन प्राप्त नहीं हुआ तो उनके विरूद्व नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), उक्त अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हों तो लिखित कथन में इस आशय का स्पष्टतः उल्लेख अंकित करें।

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), का ध्यान राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 24 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें प्रावधान उल्लेखित है कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के अधीन अपने सरकारी मामले में अपने हित को बढावा

देने के लिए किसी उच्च प्राधिकारी पर दबाव डालने के लिए कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव नहीं लायेगा, न लाने की (ऐसी) कौशिश करेगा। अतः इन प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करें और इस प्रकरण के संदर्भ में कोई अभ्यावेदन आपके संबंध में अन्य व्यक्ति का प्राप्त हुआ तो यह अपधारणा की जावेगी कि अभ्यावेदन की जानकारी आपको है और आपकी पहल पर ही यह प्रस्तुत हुआ है अतः आपके विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम 1971 के नियम 24 के उल्लंधन के संदर्भ में कार्यवाही की जावेगी।

इस ज्ञापन के प्राप्त होने की अभिस्वीकृति भिजवावें।

संलग्नः– आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र

सुश्री कल्पना चौधरी,
कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी),
कार्यालय–आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, जयपुर

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

कमांकः–एफ.1(सी) 1904/जांच/2025/ 2305 - 2311 दिनांकः– 29.10.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I) कार्यालय हाजा।
3. संयुक्त विधि परामर्शी विधि शखा।
4. संयुक्त निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर सुश्री कल्पना चौधरी कनिष्ठ लेखाकार (तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, राजकीय महाविधालय बस्सी, जयपुर) को ज्ञापन/आरोप–पत्र के बचाव हेतु प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करवाने एवं छांयाप्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय महाविधालय बस्सी, जयपुर सुश्री कल्पना चौधरी कनिष्ठ लेखाकार (तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, राजकीय महाविधालय बस्सी, जयपुर) को ज्ञापन/आरोप–पत्र के बचाव हेतु प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करवाने एवं छांयाप्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उप निदेशक (ए.सी.पी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. रक्षित पत्रावली।

(हिंगलाज दान)
सहायक निदेशक (जांच)

D:\Badresh\Gyapan 1893.docx

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) वर्तमान कार्यालय आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपः—

आरोप संख्या—01ः—

यह कि उक्त सुश्री कल्पना चौधरी, वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी को प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम द्वारा जयपुर जिलान्तर्गत उपखण्ड बस्सी स्थित कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 30—01—2024 के दौरान उपस्थिति पंजिका की जांच में माह नवम्बर, 2023 से लगातार अनुपस्थित पाया गया जैसा कि अभिकथनों के विवरण—1 में अंकित है।

आरोप संख्या—02ः—

यह कि उक्त सुश्री कल्पना चौधरी, वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी द्वारा बिना पूर्वानुमति के कार्यालय छोडने तथा बिना सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये मनमर्जी से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने एवं अनुपस्थिति अवधि का अवकाश प्रार्थना—पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत करने का कृत्य किया गया है।

आरोप संख्या—03ः—

यह कि उक्त सुश्री कल्पना चौधरी, वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 की आचार संहिता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर, जयपुर) एवं प्राचार्य की अनुमति बिना मुख्यालय छोडने, प्राचार्य द्वारा मौखिक एवं लिखित में ड्यूटी पर उपस्थित होने हेतु दिये गए निर्देशों की अवहेलना करने तथा प्राचार्य द्वारा प्रदत कार्यालय कार्यों एवं दायित्वों की अनदेखी करने का कृत्य किया गया है।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

D:\Badresh\Gyapan 1893.docx

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

सुश्री कल्पना चौधरी, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी वर्तमान में कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) वर्तमान कार्यालय आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपों का विवरणः—

आरोप संख्या—01 का विवरणः—

यह कि उक्त सुश्री कल्पना चौधरी, वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी को प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम द्वारा जयपुर जिलान्तर्गत उपखण्ड बस्सी स्थित कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति का आकस्मिक निरीक्षण दिनांक 30—01—2024 के दौरान उपस्थिति पंजिका की जांच में माह नवम्बर, 2023 से लगातार अनुपस्थित पाया गया। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सुश्री कल्पना चौधरी को विभाग के आदेश दिनांक 05—07—2024 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम—13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजकीय सेवा से निलम्बित किया गया।

आरोप संख्या—02 का विवरणः—

यह कि उक्त सुश्री कल्पना चौधरी, वरिष्ठ सहायक के राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर से राजकीय महाविद्यालय, बस्सी (जयपुर) में स्थानान्तरण उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, सांगानेर से दिनांक 03—10—2023 को अपराह्न में कार्यमुक्त किया गया परन्तु सुश्री चौधरी द्वारा राजकीय महाविद्यालय, बस्सी में दिनांक 09—10—2023 को कार्यग्रहण किया गया तथा दिनांक 04—10—2023 से 08—10—2023 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। सुश्री चौधरी दिनांक 10—10—2023 से 20—10—2023 तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रही। महाविद्यालय के पत्र दिनांक 10—10—2023 द्वारा कार्मिक को दिनांक 11—10—2023 को महाविद्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। सुश्री चौधरी दिनांक 21—10—2023 को महाविद्यालय में उपस्थित हुई तथा दिनांक 23—10—2023 से 09—11—2023 तक बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रही। कार्मिक दिनांक 10—11—2023 को महाविद्यालय में उपस्थित हुई तथा दिनांक 11—11—2023 से 11—12—2023 तक बिना पूर्वानुमति के महाविद्यालय से अनुपस्थित रही। कार्मिक दिनांक 26—12—2023 को महाविद्यालय में उपस्थित हुई तथा 27—12—2023 से 29—12—2023 तक पुनः अनुपस्थित रही। कार्मिक दिनांक 30—12—2023 को महाविद्यालय में उपस्थिति दी तथा दिनांक 01—01—2024 से 24—01—2024 तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रही। कार्मिक दिनांक 25—01—2024 को महाविद्यालय में उपस्थित हुई तथा पुनः दिनांक 27—01—2024 से 30—01—2024 तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रही। कार्मिक के दिनांक 31—01—2024 को महाविद्यालय में उपस्थिति दी एवं दिनांक 01—02—2024 से 10—02—2024 तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रही। सुश्री चौधरी का राजकीय महाविद्यालय, बस्सी में लगभग साढे चार

महिने का कार्यकाल रहा जिसमें कार्मिक मात्र 08 कार्य दिवसों को ही महाविद्यालय में उपस्थित रही हैं।

आरोप संख्या–03 का विवरणः–

यह कि उक्त सुश्री कल्पना चौधरी, वरिष्ठ सहायक, तत्कालीन पदस्थापन राजकीय महाविद्यालय, बस्सी ने दिनांक 12–12–2023 को महाविद्यालय में उपस्थिति दी तथा दिनांक 13–12–2023 से 24–12–2023 तक का राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महेश नगर, जयपुर का रोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 की आचार संहिता के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं प्राचार्य की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ा गया। दिनांक 01–01–2024 से 12–01–2024 तक वरिष्ठ चिकित्सा प्रभारी अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, ज्योति नगर, जयपुर का रोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्मिक द्वारा बिना कार्यग्रहण किये दिनांक 15–01–2024 से 24–01–2024 तक का रोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 25–01–2024 को उसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया।

(अमिता शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

D:\Badresh\Gyapan 1893.docx